

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.4(16)नविवि/II/2022

जयपुर, दिनांक: 08 APR 2022

**आदेश**

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973(उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियमों के अन्तर्गत 06 माह अथवा आगामी विभागीय नियमित पदोन्नति चयन समिति की बैठक होने तक जो भी पहले हो निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ताओं को एल-14 आवश्यक/अस्थायी (तदर्थ) आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	वरि. क्रमांक	नाम	योग्यता	वर्ग	जन्म तिथि	विवरण
1	1	विभय माथुर	DIPLOMA		8/2/1964	
2	2	राधेश्याम	DIPLOMA		30/6/1964	
3	3	लालचन्द मटोरिया	DIPLOMA		13/6/1966	
4	4	रविश श्रीवास्तव	DIPLOMA		22/07/1969	
5	7	कुमार संभव अवस्थी	DIPLOMA		13/03/1966	
6	8	प्रबोध माथुर	DIPLOMA		16/05/1968	
7	1	राहुल जैन	DEGREE		20/06/1987	
8	2	कमलेश मंगल	DEGREE		19/04/1984	
9	3	नवनीत कुमार	DEGREE		24/06/1985	
10	4	दिनेश कुमार	DEGREE		02/02/1983	
11	5	सुरेन्द्र विश्वाजी	DEGREE		01/01/1988	
12	6	देवेन्द्र कुमार	DEGREE		15/08/1976	
13	7	कन्हैया लाल डांगी	DEGREE		02/10/1981	
14	8	ओम प्रकाश कुमावत	DEGREE		07/04/1975	
15	9	प्रदीप राजपूत	DEGREE		11/11/1987	
16	10	लोकेश दुल्लड	DEGREE		26/02/1986	
17	11	प्रवीण कुमार	DEGREE		27/02/1986	
18	12	शिल्पी गर्ग	DEGREE		15/02/1986	
19	13	सुनील कुमार सोनी	DEGREE		30/04/1984	
20	14	पवन कुमार जीनगर	DEGREE	SC	05/09/1982	
21	15	अशोक कुमार कड़वासरा	DEGREE	SC	22/07/1975	
22	16	सुमन छगानी	DEGREE		25/06/1977	
23	17	नीलम व्यास	DEGREE		03/08/1986	
24	18	रश्मि चौधरी	DEGREE		26/07/1985	
25	19	प्रमोद कुमार	DEGREE	SC	02/04/1980	
26	20	सुरेश तंवर	DEGREE	SC	01/08/1976	
27	21	कैलाश चन्द बडगुर्जर	DEGREE	SC	16/06/1988	
28	22	विकेश जाटव	DEGREE	SC	20/07/1987	
29	23	दयानन्द आर्य	DEGREE	SC	01/06/1973	
30	24	दिनेश कुमार	DEGREE	SC	23/08/1972	
31	25	पुष्पेन्द्र सिंह	DEGREE	SC	20/06/1986	
32	26	निरूपमा आसोपा	DEGREE		16/11/1971	
33	27	यामिनी आगरी	DEGREE	SC	30/07/1982	
34	28	सुश्री गीताजली आर्य	DEGREE	SC	09/07/1982	
35	29	राजीव बंसल	DEGREE		28/02/1986	
36	30	अभिषेक पुरोहित	DEGREE		29/06/1985	
37	31	पुनीत चारन	DEGREE		18/05/1980	
38	32	गौरव कुमार	DEGREE		30/06/1983	
39	33	अंकित माथुर	DEGREE		23/06/1984	

*Handwritten signature/initials*

40	34	आदित्य गोयल	DEGREE		29/06/1987
41	35	सुभाष दत्त व्यास	DEGREE		17/05/1977
42	36	विवेक सोनी	DEGREE		29/10/1986
43	37	रुचिर विजयवर्गीय	DEGREE		13/05/1984
44	38	अहसान अली	DEGREE		08/01/1973
45	39	महेश कुमार तुनगरिया	DEGREE		25/05/1980
46	40	नितेश कुमार जांगिड	DEGREE		23/11/1985
47	41	महेन्द्र गुर्जर	DEGREE		14/08/1984
48	42	नितिन नागर	DEGREE		22/03/1983
49	48	अवधेश कुमार मीणा	DEGREE	ST	21/07/1988
50	52	मुकूल कुमार मीणा	DEGREE	ST	22/04/1984
51	54	मनोज कुमार मीणा	DEGREE	ST	26/05/1988

उक्त आवश्यक अस्थाई रूप से की गई पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकारी प्रदत्त किये दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. उक्त आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाये अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने या विभागीय जांच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया हो तो अस्थाई नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदावनति के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी/हो जायेगी।
8. पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

11

(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, .....
8. संबंधित अभियन्तागणों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

(ओ.पी.वर्मा)

सहायक शासन सचिव-द्वितीय